न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 62/2017 G.C.M.S. No. 2017/00362 दर्ज दिनांक : 24.08.2017

अपीलार्थिगण:

1. केसाराम पुत्र श्री टीकमजी
2. मोहनलाल पुत्र श्री टीकमजी
3. मिश्रीदेवी पत्नि श्री टीकमजी

तमाम जातिगण माली निवासीगण सोजतसिटी जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. भूमिधारी तहसीलदारजी, सोजत।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 127/2014 बअनवान केसाराम बनाम तहसीलदार में पारित फैसला व डिक्री दिनांक 04.06.2015 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री महेन्द्रनारायण ओझा विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. सरकारी पैरोकार रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 24.02.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 127/2014 बअनवान केसाराम बनाम तहसीलदार में पारित फैसला व डिक्री दिनांक 04.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलांट ने एक दावा पेश किया था कि मौजा खोखरा में खसरा संख्या 281, 282, 284 रकबा 4.55 हैक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख दिनांक 29.10.1976 को खरीद की व उपरोक्त भूमि गवारिया जाति के व्यक्तियों द्वारा अपीलांट को बेची गई। जिसकी खातेदारी न होने पर खातेदारी हेतु दावा किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने माना कि गैर अनुसूचित जाति के पक्ष में भूमि का बेचान किया गया है। इसलिए धारा 41 व 42 आर.टी. एक्ट के तहत खातेदारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि बेचान निरस्त योग्य था। उपरोक्त तथ्य पर दावा फैसल किया गया, जो तथ्य स्वयं तहसीलदार द्वारा डी.वाई.एस.पी. द्वारा फौजदारी प्रकरण में जांच की गई, जिसमें लिखकर दिया कि गवारिया जाति के व्यक्ति दिनांक 29.10.1976 को अनुसूचित जाति में नहीं माने जाते थें। क्योंकि उस वक्त उपरोक्त जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के व्यक्ति मानने का आदेश नहीं हुआ था तथा जो अधिसूचना जारी हुई, वो दिनांक 29.10.1976 को लागू नहीं हुई थीं एवं उसके बाद प्रभावी थीं एवं इसी कारण से धारा 175 आर.टी.

Scanned with OKEN Scanner

एक्ट का दावा भी खारिज किया गया था। परंतु उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर न रखते हुए एवं न ही उसके संबंध में अपीलांट को सुना गया एवं न ही तहसीलदार की टिप्पणी व गजट का अवलोकन किया गया। बेचान के वक्त गवारिया जाति अनुसूचित जाति में शुमार नहीं थीं। जो स्वीकृत तथ्य था व अन्य दावा व सबूतों को अनदेखा कर व सबूत पेश करने का व तहसीलदार द्वारा लिखित में जारी पत्रों को अनदेखा करते हुए उक्त विधिविरूद्ध फैसला व डिक्री पारित किया गया है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील फैसला व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत में अपीलांट्स द्वारा रेस्पोंडेंट सरकार के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी ग्राम खोखरा के खसरा संख्या 281, 282 व 284 कुल रकबा 4.55 हैक्टेयर में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2015 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा दिनांक 26.07.2017 को हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा लगभग 772 दिवस के विलंब के साथ अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलंब के कारण के रूप में मुख्य रूप से यह अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को फैसले की कोई जानकारी नहीं दी थीं। अपीलांट द्वारा दिनांक 04.07.2016 को न्यायालय में पेशी का मालूम किया, तब पता चला कि दिनांक 04.06.2015 को फैसला हो गया है। जिसकी नकल अपीलांट को दिनांक 04.07.2017 को प्राप्त हुई। अतः दिनांक 04.06.2015 से 04.07.2015 तक का समय कण्डोन फरमाया जावें व अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2015 की आदेशिका पर अपीलांट केसाराम व मोहनलाल स्वयं के हस्ताक्षर है। अतः अपीलांट द्वारा यह कथन करना कि उन्हें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थीं। पूर्णतया काल्पनिक व मनगढ़ंत है। अभिलेख से यह साबित है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति में पारित किए गए, जिसकी अपीलांट को निर्णय दिनांक की तिथि से ही भलीभांति जानकारी थीं। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि उन्हें दिनांक 04.07.2016 को न्यायालय में पेशी का मालूम करने पर दिनांक 04.06.2015 के निर्णय की जानकारी हुई थीं। अपीलांट द्वारा अपने स्वयं की स्वीकृति के बावजूद उक्त अपील लगभग 1 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई। जिसके लिए कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किए गए। अपीलांट्स का यह कथन कि उन्हें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 04.07.2017 को प्राप्त हुई, के संबंध में हमारा विनम्र मत है कि यह वादी पक्षकार की जिम्मेदारी है कि वह निर्णय व डिक्री की प्रतिलिपि के लिए तत्काल आवेदन करें। प्रतिलिपि के लिए विलंब से आवेदन किये जाने पर विलंबकाल माफ करने का यह आधार नहीं हो सकता कि उसे प्रमाणित प्रतिलिपि विलंब से प्राप्त हुई हों। अतः अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल के संबंध में कोई सद्भाविक, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य समुचित कारण दर्शित नहीं किए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि विलंबकाल स्वयं अपीलांट की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण हुआ है तथा लापरवाही व उदासीनता माफी का कोई आधार नहीं हो सकती।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील प्रस्तुत करने में हुआ दीर्घ विलंब माफी योग्य नहीं होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 सारहीन होने से खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट विहित परिसीमा अवधि से बाधित होने से खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/अपीलांट्स अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विहित परिसीमा अवधि से बाधित होने से खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **24.02.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner